# फर्द अहकाम

## अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाड़मेर) मुकाम बायतु

हड़मानराम वगैरा बनाम मोटाराम वगैरा

किस्म मुकदमा धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 नं 363/20 सन 2020

| तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज | न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए |
|---|---|---|
| 18.11.2020 | प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री घमण्डाराम सारण द्वारा यह प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत पेश किया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया।<br>वकील प्रार्थी को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस को न्यायहित में सुना गया। पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्यनन किया गया। प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 की संयुक्त पैतृक खातेदारी की भूमि मौजा पूनियों का तला पटवार मण्डल पूनियों का तला तहसील गिड़ा में आई हुई है। प्रार्थीगण वकील के कथनानुसार प्रार्थीगण की भूमि में विप्रार्थीगण दखलअन्दाजी करने व प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमदा है और यदि ऐसा हो गया तो वाद बहुलता बढ़ेगी।<br>प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति एवं प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष का बनना प्रतीत होता है। अतः विप्रार्थी को आगामी पेशी तारीख 28.12.2020 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विप्रार्थीगण विवादित आराजी मौजा पूनियों का तला पटवार मण्डल पूनियों का तला तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 620/525 रकबा 49.00 बीघा की भूमि में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलअन्दाजी, हस्तक्षेप कारित नहीं करें। न ही भूमि का बेचान करें। वर्तमान मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। इसी माफिक विप्रार्थीगण पाबन्द रहे।<br>विप्रार्थीगण को स्थगन नोटिस जारी होकर मिसल वास्ते जवाब दिनांक 28.12.2020 को पेश हों।<br>[हस्ताक्षर]<br>सहायक कलक्टर (SDO) बायतु | |
| 28/12/2020 | प्रार्थी वकील उपस्थित / विप्रार्थी संख्या-1 श्री [illegible] के मूल पत्र के वकील श्री [illegible] झाखड़ द्वारा वकालतनामा पेश किया गया / शेष विप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल [illegible] तामिल अप्राप्त / [illegible] पीठासीन अधिकारी [illegible] [illegible] के [illegible] होने से मिसल [illegible] आगामी दिनांक 18/01/2021 को पेश हो। | |

18/01/2021 पत्रावली पेश हुई वकुलाय परिकेन उपस्थित
पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है
अतः पत्रावली इन्तवा हाकर दिनांक 10/02/2021
को पेश हो/ब

10/02/2021 पत्रावली पेश हुई वकुलाय परिकेन उपस्थित
पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है
अतः पत्रावली इन्तवा हाकर दिनांक 22/02/2021
को पेश हो/ब

22/02/2021 पत्रावली पेश हुई वकुलाय परिकेन उपस्थित
पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है
अतः पत्रावली इन्तवा हाकर दिनांक 09/03/2021
को पेश हो/ब

09/03/2021 पत्रावली पेश हुई वकुलाय परिकेन उपस्थित
पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है
अतः पत्रावली इन्तवा हाकर दिनांक 09/06/2021
को पेश हो/ब

09/06/2021

प्रार्थी व विपार्थी संख्या-1 के वकील उपस्थित। शेष विपार्थीगणों के नोटिस तामील अदम तामील प्राप्त। विपार्थी संख्या-1 के वकील द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया, आईन्दा पेश करना चाहते हैं। चूंकि पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल इन्तवा होकर आगामी दिनांक 06/08/2021 को पेश हो/ब

//

| तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 06/08/2021 | प्रार्थीगण व प्रार्थी के अधिवक्ता तथा विप्रार्थी संख्या-1 उपस्थित। वादीगण द्वारा अपने मूल वाद को विड्रोवल कर लिया है इसलिए आवेदन का कोई औचित्य नहीं रहता है। अतः प्रार्थी का उक्त स्थगन आवेदन इसी स्टेज पर खारीज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।<br>[signature]<br>सहायक कलेक्टर<br>नायनु | [signature] इकरार<br>अमराराम<br>[signature] (मोटाराम)<br>[signature] वादीवकील |